राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 150/2018 रे0वाद

अनवान

दुर्गाराम पिता वरदा आयु 80 वर्ष जाति बलाई निवासी चेता वाड़िया तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. मदन लाल पिता मांगीलाल जाति बलाई आयु 26 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. विनेश पिता मांगीलाल जाति बलाई आयु 21 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
3. सुगना देवी पत्नि मांगीलाल जाति बलाई आयु 46 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
4. संतोष पुत्री मांगीलाल पत्नि हीरालाल जाति बलाई आयु 28 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद हाल निवासी बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद।
5. सुशीला पुत्री मांगीलाल जाति बलाई आयु 25 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
6. पुष्पा पुत्री मांगीलाल पत्नि देवाराम जाति बलाई आयु 24 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद हाल निवासी संग्रामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
7. पूजा पुत्री मांगीलाल जाति बलाई आयु 18 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
8. रमेश लाल पिता मोहन लाल जाति बलाई आयु 23 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
9. केसर लाल पिता मोहन लाल जाति बलाई आयु 20 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
10. शान्ता देवी पत्नि मोहन लाल जाति बलाई आयु 40 वर्ष निवासी वीरमगुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
11. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय भीम जिला राजसमंद।
12. तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार मेहता
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः- 6/10/25

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ।

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा चेता, पटवार क्षेत्र वाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद में खसरा संख्या 1062/575 खाता संख्या 525 में कुल रकवा 10 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री भोलाराम पिता सूरताराम जाति बलाई निवासी वीरमगुड़ा, तहसील भीम जिला राजसमंद के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी तथा उनका व उनके पुत्रों मांगीलाल और मोहनलाल का शामिल कब्जा था। भोलाराम को धन की आवश्यकता होने से उन्होनें उक्त वर्णित आराजी को दिनांक 28.05.1989 को रूपये 10000 में बेचान करना तय किया तथा 6500/रूपए उसी समय प्राप्त किए तथा यह बेचान वादी ने चोपनीय में उदय सिंह से लिखतम करवाई थी तत्पश्चात् शेष 3500 प्राप्त करते हुए भोलाराम व उनके पुत्रों ने नवल सिंह से एक स्टाम्प बेचाननामा बेकलम करवाया था उक्त आराजी वादी को बेचान कर दी थी उक्त स्टाम्प पर वादी एवं प्रतिवादी ग़ण के पूर्वज भोलाराम के अंगूठा निशान तथा मोहनलाल व मांगीलाल के हस्ताक्षर है। उक्त भूमि से संबंधित रजिस्ट्री नहीं करवाई गई थी कि यह वचन दिया कि जब दुर्गाराम कहेंगे तब रजिस्ट्री करवा देगे। प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा वादी को बेचान करते हुए मौके पर कब्जा भी सुपुर्द करा दिया था तथा तब से वादी उक्त खरीदसुदा भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी का उक्त आराजी पर 29 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वादी 12 वर्षों से अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा होने के कारण भी उक्त आराजी का खातेदार एवं काश्तकार हो जाता है क्योंकि प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त वर्णित आराजी का बेचान कर देने से अब उनके वारिसान एवं प्रतिवादीगणों का किसी प्रकार का हक व अधिकार शेष नहीं रहता है तथापि प्रतिवादीगणों द्वारा अपने पिता के मृत्यु होने पर पिता के नाम के स्थान पर फौतदगी नामांतरण अपने नाम दर्ज करवा लिया था तथा प्रतिवादीगणों के नियत में खोट आ जाने से वह उक्त बची हुई जमीन को पुनः वादी से हड़पना चाह रहे है एवं उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जबकि उनको इस प्रकार से करने का कोई हक व अधिकार नहीं है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वह उक्त भूमि का विक्रय, बख्शीश, रहन ना ही करें और ना ही करावे तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द ना करें ना ही करावे व कब्जा ना ही करें और ना ही करावें। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 11 उप पंजीयक भीम को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त पूर्व में बेची गई भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश होने पर उसकी पंजीयन नहीं करें ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 12 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार का अमलदरामद रिकॉर्ड में नहीं करें और ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करावे। यह कि उक्त वाद करीब 3 वर्ष पूर्व पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 उक्त भूमि पर एक अपरिचित व्यक्ति को लेकर आया तथा उक्त आराजी के संबंध में मोलभाव करने लगा तथा वादी के मना करने पर कहने लगा कि मैं उक्त जमीन को

उपखण्ड अधिकारी

लिखित कथन

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र इस आधार पर न्यायालय में पेश किया गया। वाद पत्र की जांच कर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगणों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तनकी

प्रतिवादियों के अनुपस्थित रहने पर वादी द्वारा वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष को ही तनकीयात माना गया।

साक्ष्य वादी/साक्ष्य प्रस्तुत किए

वादी को साक्ष्य हेतु समय दिया गया वादी द्वारा साक्ष्य में प्यारेलाल पुत्र दुर्गाराम जाति बलाई निवासी चेता तहसील भीम, दूध सिंह पुत्र पन्ना सिंह जाति रावत निवासी देव जी का गांव चेता तहसील भीम, रूप सिंह पुत्र राजू सिंह रावत निवासी चेता आसन तहसील भीम तथा देवी सिंह पुत्र नाथू सिंह रावत निवासी चरेड़ों का बाड़िया तहसील भीम जिला राजसमंद के शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्रों में साक्ष्य प्रस्तुत कर्ता द्वारा उक्त आराजी के बेचान को स्वीकार किया गया।

बहस

वादी को बहस हेतु समय दिया जाकर दिनांक 13.08.2025 को वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई जिसमें वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को ही पुनः दोहराया गया।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के पत्रावली में मौजूद दस्तावेज एवं बहस अनुसार प्रस्तुत वाद पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 2025 (2) RRT 858 में माननीय राजस्व बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित निर्णय अनुसार –

01. अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार का अधिकार या स्वत्व सृजित नहीं होना।
02. प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किए जा सकते उक्त निर्णय से वादी के उक्त आराजी पर अधिकार तथा स्वत्व संबंधी दोनों आधारों का खण्डन होता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/10/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द